न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :— पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0— 34 / 2024

अनवान :—

1. ओमप्रकाश पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मुकेश कुमार पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
3. योगेश कुमार पुत्र शेरसिह जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर।
4. शिशपाल पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर।
5. कलावती पत्नी विजयपाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
6. बलवीर पुत्र विजयपाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्र विजयपाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. ईन्द्राज पुत्र दौलाराम जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. कमलादेवी पत्नी सोहनलाल जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. गोमती पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. द्रोपती पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. धापी पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. रामलाल पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
7. लिछमा पत्नी हनुमान जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
8. सन्तरों पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
9. गणपतराम पुत्र मेदाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की

रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 17 / 22 के खसरा न0 27 की कुल 6.0830हैक भूमि सायल संख्या 1 ता 4 व मृतक विजयपाल पुत्र माईधन की मुश्तरका खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 115 / 127 के खसरा न0 56 की 10.8740हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 की मुश्तरका खाते में दर्ज है एवं रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 33 / 37 के खसरा न0 218 की कुल 5.1220हैक भूमि गैरसायल संख्या 9 के नाम दर्ज है विजयपाल पुत्र माईधन का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस सायल संख्या 5 ता 7 है।

सायलान व गेरसायलान की भूमि आपस में चिपती हुई भूमि है तथा सायलान अपनी भूमि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 17 / 22 की भूमि में जाने के लिए अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए मं[illegible]खासर के रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 8 के खसरा [illegible] की एक गठठा भूमि में से होते हुए गैरसायल संख्या 9 की भूमि [illegible] के खाता संख्या [illegible] के खसरा न0 218 के मिन उत्तर की 1 गठठा भूमि में से ह[illegible] हुए अपने खेत के [illegible]न0 217 में प्रवेश कर जाते है इसी रास्ता से सदामत से आवागमन होता रहा है यही रास्ता सबसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 8 की भूमि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 115/27 के खसरा न0 56 की कुल 10.8740हैक्‍ में स मिन उत्तर में एक गठठा चौडा एव रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 33/37 के खसरा न0 218 की कुल 5.1220हैक्‍ भूमि में मिन उत्तर में 1 गठठा चोडा रास्ता मुताबिक नजरीय नक्शा स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किया जाने के उपरान्त भी गैरसायलान या उनका प्लीडर उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान व गेरसायलान की भूमि आपस में चिपती हुई भूमि है तथा सायलान अपनी भूमि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 17/22 की भूमि में जाने के लिए अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्दा रास्ता से होते हुए मंजूरशुद्दा जोखासर के रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 8 के खसरा न0 56 के मिन उत्तर की एक गठठा भूमि में से होते हुए गैरसायल संख्या 9 की भूमि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 33/37 के खसरा न0 218 के मिन उत्तर की 1 गठठा भूमि में से होते हुए अपने खेत के खसरा न0 217 में प्रवेश कर जाते है इसी रास्ता से सदामत से आवागमन होता रहा है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने वकील सायलान की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 17/22 के खसरा न0 27 की कुल 6.0830हैक्‍ भूमि सायल संख्या 1 ता 4 व मृतक विजयपाल पुत्र माईधन की मुश्तरका खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 115/127 के खसरा न0 56 की 10.8740हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 की मुश्तरका खाते में दर्ज है एवं रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 33/37 के खसरा न0 218 की कुल 5.1220हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 9 के नाम दर्ज है विजयपाल पुत्र माईधन का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस सायल संख्या 5 ता 7 है तथा गैरसायल संख्या 9 गणपत का भी देहान्त होना अवगत करवाया गया किन्तु कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार मौका व रिकार्ड अनुसार रोही मोजा गिराजसर का खसरा न0 56 तीन हिस्सों में बट चुका है तथा सायलान ने जहा से रास्ता की मांग की गई है वह खसरा न0 234/56 है जो कि लिछमा पत्नी हनुमान के नाम से दर्ज है तथा खसरा न0 234/56 के उपर से हाईटेशन बिजली की लाईन गुजर रही है जिसका पोल खसरा न0 234/56 की उतरी मेड पर है उक्त पोल के स्पोर्टिग हेतु तार लगाया गया है जो चाहा गया रास्ता की भूमि पोल व स्पोटिग तार के बची में से है।

सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार हाईटेशन बिजली के पोल एवं पोल की स्पोर्टिग हेतु लगाये गये तारो के मध्य में से होकर गुजरता है हाईटेशन बिजली के तार चाहा पर लगे हो उसके नीचे से रास्ता दिये जाने से आम काश्तकारों के जीवन को खतरा हो सकता है तथा सायलान ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह स्वीकृत करने से आमजन को हानी हो सकती है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाना न्यायोचित नही है एवं सायलान अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये स्वतन्त्र है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता हाईटेशन बिजली की पोल एवं पोल के स्पोर्टिग हेतु लगाये गये तारों के पास/बीच में से गुजरता है हाईटेशन बिजली के तार चाहा पर लगाये गये हो उससे उचित दुरी पर ही रास्ता दिया जा सकता है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने पर आमजन की जीवन को खतरा हो सकता है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के लिये खारिज किया जाता है एवं सायलान अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये स्वतन्त्र है व्यय प्रार्थना पत्र सायल अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:20 IST
Reason: SelfAttested